09/2017 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 09/2017 अनवानी श्री बीरबल राम पुत्र श्री चन्द्रीराम सारण सार्कत मॉ बाला सती लॉ ऐसोसियेटस्, दुकान न0 5, 6 ,7 रावत शॉपिंग मॉल, दुगड़ विद्यालय रोड,सरदारशहर जिला चूरू बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर

03–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बीरबलराम उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बीरबलराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के द्वारा निम्न सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1– आपके द्वारा जानकीदास, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर में उपभोक्ता पेट्रोल पम्प लगाने के लिए प्रदत्त की गई स्वीकृति एवं अनापति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)

2– उक्त उपभोक्ता पम्प के द्वारा डीजल बिक्री की कितनी गोपनीय शिकायतें प्राप्त हुई एवं इन पर की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को कब–2 अवगत करवाया गया उनकी प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से प्रतिवेदन चाहे जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 2123 दिनांक 17.03.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत की हैः–

क0सं0	बिन्दु	जबाब
1	आपके द्वारा जानकीदास, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर में उपभोक्ता पेट्रोल पम्प लगाने के लिए प्रदत्त की गई स्वीकृति एवं अनापति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)	बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि आप द्वारा पम्प लगाने के लिए प्रदत्त की गई स्वीकृति की प्रतियां चाही गई है उक्त स्वीकृति का कमांक व दिनांक व वर्ष पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें ताकि सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाई जा सके।
2	उक्त उपभोक्ता पम्प के द्वारा डीजल बिक्री की कितनी गोपनीय शिकायतें प्राप्त हुई है एवं इन पर की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को कब–कब अवगत करवाया गया, उनकी प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)	बिन्दु सं0 2 में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण देय नही है। किसी निश्चित अभिलेख की प्रविष्टि के संबंध में कोई प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो उसके लिए पूर्ण विवरण देकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विधिवत होने पर विचार किया जा सकेगा।

अतिरिक्त जिला मजि0, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर अनुसार बिन्दू सं0 1 की सूचना के संबंध विवरण उपलब्ध करवाने के लिये लिखा गया है और बिन्दु स0 2 में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं 1 में चाही गई सूचना के संबंध में अभिलेख का पर्णू विवरण अंकित नही किया गया है एवं बिन्दु सं0 2 में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

 09/2017

अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो की सूचना प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 17.03.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर